क्यू/पीएफ/578/2/2015

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

(पी एफ अनुभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2015

मुख्य सचिव,
सभी राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र

विषयः **भारत के प्रधान कोंसलावास, जेद्दा में सहायक (कल्याण) के पद के लिए चयन-2015**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के प्रधान कोंसलावास, जेद्दा में सहायक (कल्याण) के पद के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर दो वर्षों की अवधि के लिए एक अनुभवी मुस्लिम कम्पाउंडर/फार्मासिस्ट की सेवाओं की आवश्यकता है। चयनित कर्मचारी को भारतीय हज कार्यालय, मक्का के संबद्ध डिस्पेन्सरी में तैनात किया जाएगा।

2. भारतीय हज कार्यालय, मक्का के फार्मासिस्ट की मुख्य जिम्मेदारियों में हज चिकित्सा मिशन के लिए चिकित्सा मांग-पत्र तैयार करना, मक्का, जेद्दा और मदीना में स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखना, चिकित्सा स्कंध के अनुरक्षित भंडारों से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्य करना, हज के दौरान चिकित्सा उपकरण एवं दवाइयां जारी करना और अपने पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा सौंपे गए इसी प्रकार के कार्य करना शामिल है।

3. इसके अतिरिक्त, कम्पाउंडर/फार्मासिस्ट के रूप में 8 से 10 वर्ष के कार्य करने का अनुभव रखने के साथ-साथ उम्मीदवार को प्रयोगशाला संबंधी कार्य करने और स्टोरों एवं स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव करने में भी समर्थ होना चाहिए। आवेदक की उम्र 56 वर्ष से कम होनी चाहिए और उर्दू भाषा की जानकारी वांछनीय है।

4. प्रतिनियुक्ति पर सेवा के निबंधन व शर्तें निम्नानुसार हैं:

(i) भारत में अपने मूल विभाग के ग्रेड से जुड़े वेतनमान में मूल वेतन।

(ii) सी जी आई, जेद्दा में अराजपत्रित भारत आस्थानी कर्मचारी को यथास्वीकार्य विदेशी भत्ता।

(iii) मुफ्त साधारण सुसज्जित आवास।

(iv) स्वयं एवं परिवार के हकदार सदस्यों के लिए अनुमोदित रास्ते से पात्र क्लास में भारत में कार्यस्थल से जेद्दा और वापसी हेतु रेल/हवाई यात्रा के लिए यात्रा भत्ते।

(v) समय-समय पर यथासंशोधित मौजूदा नियम के अनुरूप सहायता-प्राप्त चिकित्सा सेवा स्कीम, बाल अवकाश किराया, बाल शिक्षा भत्ता, वर्दी भत्ता और गृह अवकाश भाड़ा आदि के लाभ।

(vi) इस नियम के तहत यथा स्वीकार्य स्थानांतरण अनुदान।

5. अनुरोध है कि संस्तुत कम्पाउंडरों/फार्मासिस्टों की अर्हता/अनुभव तथा उनके परिवार के आकार के बारे में पूर्ण विवरण, पिछले 5 वर्षों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट सहित, अधोहस्ताक्षरी को 11 मई, 2015 तक अग्रेषित किया जाए। जिन तारीखों को अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का पिछली बार सत्यापन किया गया था, उसकी भी सूचना दी जाए। जिन अभ्यर्थियों के तीन से अधिक बच्चे हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति के लिए सिफारिश न की जाए। संस्तुति अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदक की आयु, कार्य-अनुभव और बच्चों की संख्या संबंधी मानदंड पूरा करता हो और उनके द्वारा सहायक दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। सहायक दस्तावेज के बिना प्रस्तुत आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. इस मामले से संबंधित किसी विवाद को हर हालत में संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली में अवस्थित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा।

भवदीय,

पी. थपलियाल

(पी सी थपलियाल)
अवर सचिव, भारत सरकार
विदेश मंत्रालय, कमरा सं. 4071
जवाहर लाल नेहरू भवन, जनपथ
नई दिल्ली- 110001
दूरभाषः 49015360, फैक्सः 49015414
ई-मेलः uspf@mea.gov.in

सेवा में,

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली/रेल मंत्रालय, नई दिल्ली उपरोक्त के अनुसार समान कार्रवाई हेतु।
2. भारत का महाकोंसलावास, जेद्दा, सूचनार्थ।
3. हज सेल, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. विदेश मंत्रालय की वेबसाईट।
5. सी सी पी/कैडर सेल/एफ डी/पी एफ अनुभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।